"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2016— अग्रहायण 28, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-33/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/1716 रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

1. राजमति यादव, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, कोरबा, जिला कोरबा, छ.ग.
2. सरोजनी पात्रे, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, कोरबा, जिला कोरबा, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 15 दिसम्बर 2016

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरबा के प्रतिवेदन दिनांक 4 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन 2014-15 में कुल 10 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरबा ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2015 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगर पालिक निगम कोरबा के आम निर्वाचन 2014-15 में महापौर पद की अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थीगण राजमति यादव एवं सरोजनी पात्रे द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरबा के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों राजमति यादव एवं सरोजनी पात्रे को दिनांक 19 मई 2015 को अधिनियम की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-क एवं 14-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 14-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगर पालिक निगम का महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों राजमति यादव एवं सरोजनी पात्रे को तामील नहीं होने के कारण पुन: दिनांक 24-6-2016 को कारण बताओ सूचना जारी की गई, जो उक्त अभ्यर्थियों को क्रमश: दिनांक 2-7-2016 एवं 7-7-2016 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थीगण राजमति यादव एवं सरोजनी पात्रे को कारण बताओ सूचना सम्यक रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही उसके पश्चात् आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत

किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उक्त अभ्यर्थीगण को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है, उनके विरूद्ध दिनांक 30-11-2016 को एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

4. प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरबा ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों राजमति यादव एवं सरोजनी पात्रे ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14-क (1) निम्नानुसार है :

"**14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा-** महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना-** महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) कोरबा के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों राजमति यादव एवं सरोजनी पात्रे द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में अर्थात् 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत नहीं किया गया. अभ्यर्थियों राजमति यादव एवं सरोजनी पात्रे ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थिगण राजमति यादव एवं सरोजनी पात्रे प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थियों राजमति यादव एवं सरोजनी पात्रे को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये नगर पालिक निगम के महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 15 दिसम्बर 2016 को जारी किया गया.

हस्ता./
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.